

DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये सम्पत्ती कर की सूचना

Memo No. : 205242301122123022

Date : 30-11-2022

प्रभावी : तृतीय तिमाही 2022-2023

श्री/श्रीमती/सुश्री ARUN KUMAR SHARMA AND ASHOK SHARMA S/O HARI RAM SHARMA,
मोहल्ला KOLA KUSMA PO K.G ASHRAM DHANBAD DHANBAD
DHANBAD , 826001
8294026903

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके मूल्य सूचकांक - 0230907158000100 नॉटिस नं- 23 हुआ है, आपके स्व-निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रु- निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार स्थित है।

स्व-निर्धारित कर की सूचना		Amount (In Rs.)
क्रम सं०	Particulars	
1.	गृह कर	200.00
2.	जल कर	0.00
3.	शौचालय कर	0.00
4.	बिजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		200.00

To be signed by the Applicant

नोट:-

1. कर निर्धारण की सूची, DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION Website, uda.jharkhand.gov.in पर प्रदर्शित है।
2. नियमावली संश्लेषण 11.4 के अन्तर्गत में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जाएगा जो सम्पत्ति कर का 50% होगा। हिदायत दी जाती है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निगम को सूचित करने तथा अतिरिक्त गृह कर से रहित पायें।
3. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर का भुगतान त्रैमासिक देय होगा।
4. यदि वित्तीय वर्ष के लिए सम्पूर्ण पूति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियायत दी जाएगी।
5. किसी देय पूति को निर्दिष्ट सम्पादनधि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकवाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
6. यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण-साह-घोषणा पत्र की स्थानीय जांच तथा समय निगम करा सकती है एवं तथ्य गलत पाए जाने पर नियमावली कड़ीका 13.2 के अनुसार निर्धारित शक्ति (Fine) एवं अंतर राशि देय होगा।
7. DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION द्वारा संग्रहित इस सम्पत्ति कर इन इमरतों/बांशों को कोई कानूनी हैसियत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने मानिकों / दखलदार को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
8. अगर आपके नये होखिंग नं० का आखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विशिष्ट संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत मना जाएगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.

Print